

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 99]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 अप्रैल 2026—चैत्र 23, शक 1948

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2026

क्र. 3-3-4-0029-2025-Sec-2-पाँच (CT) (05) .— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूची एक-क के अनुच्छेद 41-क के खण्ड (क) के उप-खण्ड (दो) तथा (ख) के उप-खण्ड (दो) में यथा उल्लिखित टोपीदार अथवा भरमार बंदूकों से संबंधित अनुज्ञप्ति तथा अनुज्ञप्तियों के नवीकरण पर देय स्टाम्प शुल्क को क्रमशः दो हजार रुपए एवं एक हजार रुपए के समतुल्य करते हुए, कम करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2026

क्र. 3-3-4-0029-2025-Sec-2-पाँच (CT) (05) .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्र. 3-3-4-0029-2025-Sec-2-पाँच (CT) (05), दिनांक 13 अप्रैल 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अपर सचिव.

Bhopal, the 13th April 2026

No-3-3-4-0029-2025-Sec-2-V (CT) (05).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the State Government, hereby, reduces stamp duty chargeable on the license and renewal of license relating to topidar or bharwar guns, as mentioned under sub-clause (ii) of clause (a) and sub-clause (ii) of clause (b) of Article 41-A of Schedule I-A, making it equal to two thousand rupees and one thousand rupees respectively.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH OGREY, Addl. Secy.